

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन भोपाल

कं/आई.डी.एस.पी./2020/

भोपाल दिनांक 09/04/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश।
3. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय:- कोविड 19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार किये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड 19 से संक्रमित किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत मृत शरीर का अंतिम संस्कार जिस स्थान पर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है उक्त स्थान की सीमा के भीतर ही किया जाना है। जिससे मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। किसी भी स्थिति में मृत शरीर को संक्रमित व्यक्ति के मृत स्थान से अन्यत्र जैसे उसके गृह जिले/पैत्रिक गांव या अन्य स्थान पर ले जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की जायेगी। साथ ही शव के प्रबंधन हेतु शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(फ़ैज अहमद किदवई)

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल दिनांक 09/04/2020

कं/आई.डी.एस.पी./2020/

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिखा विभाग, मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त जनसंपर्क विभाग भोपाल मध्यप्रदेश कृपया मिडिया में प्रसारित करने का कष्ट करें
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त, नगर निगम/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग